(6.) निष्पक्ष मूल्यांकन (Fair Evaluation) :-

विशिष्ट बालकों की विशेष शिक्षा के दौरान नियमित रूप से निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिससे कि बालक की शैक्षिक प्रगति का सही प्रकार से आंकलन किया जा सके। इन बालकों के लिए बनाये पाठ्यक्रम एवं विधियों से इच्छित सफलता न मिलने पर कार्यक्रम में उचित परिवर्तन किया जा सकता है। विशेष शिक्षा की प्रकृति लचीली होती है। विशेष शिक्षा में बालकों को अधिगम के दौरान सम्मुख आने वाली कठिनाइयों का तुरन्त निराकरण किया जाता है ताकि बालक अपनी क्षमताओं का सही विकास कर सके।

विशेष शिक्षा :-

विशिष्ट बालकों के पृथक्कीकरण (Segregation) पर विद्वानों में बहुत वाद-विवाद हुआ। अतः विशेष शिक्षा के आयोजन पर बल दिया गया। विशेष शिक्षा से तात्पर्य अनेक परिस्थितियों से है, जो इस प्रकार हो सकती है :-

(i) सामान्य कक्षा के बालकों के साथ शिक्षित करना, समय-समय पर विशेषज्ञ निरीक्षण करके बालकों की सहायता करना है।

(ii) सामान्य कक्षा के उपरान्त, अन्य समय विशिष्ट बालकों को देना।

(iii) विशिष्ट बालक अधिक समय विशेष अध्यापक के साथ व्यतीत करें और कुछ समय सामान्य छात्रों के साथ।

(iv) बालकों को पूर्णतः विशेष कक्षा में रहना है।

यह विभिन्न प्रकार की विशेष शिक्षा बालक की प्रकृति के अनुसार ही दी जानी चाहिए। यदि बालक सामान्य कक्षा से समायोजित हो सकता है, तो उसे वहीं रखना चाहिए अर्थात बालक को वहीं रखना चाहिए जहाँ पर उसकी अधिकतम उन्नति हो।

Scanned with CamScanner